

- 65 -
58

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

卷之三

क्रमांक:-प. १४। शुक्रार्धिक/निजी. चिकित्सालय/पट्ट-३/2003/ २०९ । दिनांक: २८/१०/०३

कायलिय आदेश

— — — — — — — —

राजस्थान आवासन बोर्डचिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा सुविधाओं में वित्तार करते हुए साकेत हॉस्पिटल, सेक्टर-10, मीरामार्ग, अग्रवाल फार्म, मान सरोवर जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग देते गान्धी दी जाती है।

ପ୍ରଦୀପ୍ - ୩

1. हॉस्पिटल में आन्तरिक रोगी के रूप में भर्ती होने पर कुल देय राशि में 10% प्रतिशत की छूट देय होगी ।
 2. अशेष छाह्य रोगी ₹10000 की राशि पर 20% प्रतिशत की छूट देय होगी ।
 3. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य निजी चिकित्सालयों पर लागू हैं, इन पर लागू होगी ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष गहोदय का अनुमोदन प्राप्त है। तथा मण्डल के निर्णय की पर्व अधिकार में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिक्रिया किसने को तचनार्थ/आवश्यक कार्यधारी हेतु प्रेषित है:-

- प्रैमुख्य विभाग ताचक-जॉड़वा/नजीबा/ताचक-जॉवा/नजीबा/मु. ज. अ., रा. आ. न., बंगलुरु
 - कॉर्ट निको तहांधक-साचेव/प. स. सर्वे मु. जे. अ., रा. आ. न., बंगलुरु
 - उप आवासन आयुक्त वृत्ति-
 - आवासीय अधिकारी, खण्ड-
 - लेखाधिकारी, वित्ती/भूग्राम, रा. आ. न., बंगलुरु
 - विभागीय ध्वनी/तमस्ति प्रकोष्ठाश्रम, दे.
 - निदेशक, ताकेत हाँस्पठन सेंटर 10, मीरा भारी, अंबलि कार्म, नान्दारोवर्ज्याश्रम
 - नोर्ट्स बोर्ड/रक्षित पत्रावली

10

३२८५